

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या -48/2016 (आवंटन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00103

सरकार जयें तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

—प्रार्थी.

वनाम

1. मन्ना आत्मज रामा जाति मेघवाल निवासी उण्डवा मृतक जयें का0मु0-
1/1 वीरमलाल आत्मज मन्ना मृतक जयें का0मु0-
1/1/1 रामदयाल आत्मज वीरमलाल जाति मेघवाल निवासी उण्डवा
तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा

—अप्रार्थी.



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ
भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के
अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत

उपस्थित-

1. परोकार सरकार

निर्णय

दिनांक:- 26 / 08 / 2025

- 1 प्रकरण के सम्यन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटनी अप्रार्थी को ग्राम उण्डवा के आराजी खसरा नम्बर 1996 की 0.27 हे0. भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटनी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटनी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया ।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटनी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल प्राप्त । अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री चन्दन गुप्ता का वकालतनामा पेश हुआ किन्तु अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया अप्रार्थी लगातार अनुपस्थित चल रहा है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर परोकार सरकार की बहस सुनी गई ।
- 3 परोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि आवंटनी अप्रार्थी को ग्राम उण्डवा तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 1996 की रकबा 0.27 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटनी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया जाने पर तहसीलदार रामगंजमण्डी ने आवंटन निरस्तीकरण का प्रकरण प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से यह स्पष्ट हो रहा है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया जा रहा है । अतः अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने से प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।

जिला कलेक्टर
कोटा

- 4 हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 1996 की रकबा 0.27 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं करने से तथा आवंटन शर्तों का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से यह जाहिर हो रहा है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार योग्य पाते है ।
- 5 परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीया के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन आदेश निरस्त किया जाकर आवंटित भूमि उण्डवा के खसरा नम्बर 1996 की 0.27 हे0, भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार रामगंजमण्डी उक्त भूमि का राजहित में तहवील सरकार लेवें ।
- 6 निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।



(पीयूष सौरिया)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा